

56
57


**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.711 Hectare** for the construction of **Hindolakhali Payalgoan motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhali Palethi Mulyagoan Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri


(इन्दुवर बौड़ाई)
District Collector Cum chairman
टिहरी गढ़वाल।
District Tehri Garhwal
New Tehri

58

Annexure

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.711 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar for Construction of Hindolakhil Payalgaon motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhil Palethi Mulyagoan Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of ----- Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.711 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौडई)

जिला अधिकारी

(टिहरी गढ़वाल)

Distt. Collector

It is further certified that-

Minutes of meeting of *Hidolakhhal Payalgaon Motor Road Extension up to Hidolakhhal Mulyagaon Motor Road Via Bitula, Nautha, Devli & Dalmasa* Motor Road (5 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
39 आगणी - पलेली
विकास खण्ड -
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, जौनपुर

प्रयागीय वनाधिकारी
जौनपुर वन विभाग, बटिहरी गढ़वाल
मुनि-की-रेवी

(इन्दुवर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(60)
59

प्रारूप सं० — 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम —
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 कि०मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :-

549 / 111(2) / 14-49(प्र०आ०) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग 5.00 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रषासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 5.225 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.711 है० सिविल वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.711 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 3.9915 है० ग्राम पंचायत पौसाड़ा के काष्ठकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काष्ठकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रज्जगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता
जिला टिहरी गढ़वाल
कीर्तिनगर

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील देवप्रयाग
जिला-टिहरी गढ़वाल

प्रतिस्वीकृतित
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि० ग०

44
Spm
जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखल पयालगौव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्थागौव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ली.नि.वि. का प्रत्यावर्तन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर.....

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखल पयालगौव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्थागौव तक विस्तार (..... हे० आरक्षित वन भूमि, ०.७॥ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.७॥ हे० वन भूमि) का लोक-निर्माण विभाग कीर्तिनगर..... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग.....) की दिनांक 27/11/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतुर सिंह चौहान....., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री चतुर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री डी.पी. वसुधानी	उप प्रमाणीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री विनोद कुमार उम्रक	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4- श्रीमती गौरी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हिण्डोलाखल पयालगौव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्थागौव तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु ०.७॥ हे० वन भूमि लोक-निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग देव प्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड की तिनिगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलगढ पयालगौव मो मार्ग का बिबुला, नौधा देवली से दलमसाडा के दूर हिण्डोलगढ मुख्य गाव मो. प्र. परियोजना के निर्माण हेतु 0.3.11. हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग की तिनिगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

— ५५ —

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— देव प्रयाग

जनपद— टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

— ५५ —

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति


तहसील— देव प्रयाग

जनपद— टिहरी गढ़वाल

63

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलख
 पथलगौव मोटर-मार्ग का बिटुला, नौधा देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलख
 मुल्यागौव मोटर-मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन-भूमि का गैर-वानिकी
 कार्य हेतु लो०नि०वि० की प्रत्यावर्तन

दिनांक 27/7/016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 जनपद टिहरी गढ़वाल

1	डी. चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	4 S.D.M
2	डी. पी. कलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	विनोद कुमार उन्मिक	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 सदस्य
4	श्रीमती पार्वती डेवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	क्षेत्र पंचायत-लम्बोर, दि० ख देवप्रयाग (दि० ग०) पार्वती देवी

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जूनपद विहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत छिड़ोलाखाल पंचालगाँव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, खेनी एवं दलमासा होते हुये छिड़ोलाखाल मुख्यालय मोटर मार्ग का विस्तार,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम पोसाड़ा
तहसील देवप्रयाग, जिला दिल्ली गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिल्ली गढ़वाल के अन्तर्गत छिड़ोलाखाल पंचालगाँव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, खेनी एवं दलमासा होते हुये छिड़ोलाखाल मुख्यालय मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, ०.७११ हे० सिविल सोयम भूमि, — हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०.७११ हे० वन भूमि का लो० नि० वि० की विस्तार विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोसाड़ा द्वारा दिनांक ०२-१०-२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोसाड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० की विस्तार प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

पोसाड़ा
३०४९१२१
०१६७१५१

ह० Buman
ग्राम प्रधान

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

काया प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
अ०ख० लो० नि० वि०
देवप्रयाग

Suman

जय मां चन्द्रबदनी

ग्राम पंचायत-पौसाड़ा, विकासखण्ड-देवप्रयाग(हिण्डोलाखाल)
जिला-टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

सुमन रतूड़ी

प्रधान

ग्राम पंचायत-पौसाड़ा

विकास खण्ड-देवप्रयाग, टि० ग०

निवास/कार्यालय

ग्राम-पौसाड़ा, पोस्ट-हिण्डोलाखाल

जिला-टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

Mob.9756789050,9897377647

पत्रांक.....

दिनांक.25.06.24

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिण्डोलाखाल-
पमालगांव मोटर मार्ग का विडुला, नौंथा देवली
रैब दलभासा होते हुये हिण्डोलाखाल-मुलगागांव
मोटर मार्ग विस्तार नव निर्माण प्रस्तावित है,
रैब प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-
दलभासा कफोलगांव, नौंथा, विडुला रयाल गांव
क लंगौर ग्राम पंचायत-पौसाड़ा के अन्तर्गत
आते हैं,

